

FROM No. III

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

अदालत राजस्थान हाईकोर्ट (500) मुकाम जायपुर

कृष्णाराम बनाम 313राम

किस्म मुकदमा 111, 126 R.P.R act नं 387 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.12.21	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>गुरुपत पंडा</u>            ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 126 R.P.R act</u>            राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।            जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन            तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>10.1.22</u> को पेश हो।</p>	
10/01/2022	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट के नोटिस तामील आदिम तामिल डांपात / इन्तजार होकर पत्रावली आदिना दिनांक <u>08/03/2022</u> को पेश हो।</p>	<p>जायपुर</p>
28/02/2022	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट के नोटिस तामिल कुछा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली विचार गया। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट तामिल अनुपस्थित। न्यायलय समय तक का प्रारंभ लगाई गई। तल्लिम प्रारंभ 5.45 PM पर लगाई गई विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट स्वयं या उनकी ओर से कोई विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट उपस्थित नहीं हुआ लिये जा विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट के विरुद्ध एडवरन्स उपस्थित प्रमाण के लाई जाने की बात का-त कुछ पत्रावली दिनांक <u>08/03/2022</u> को पेश हो।</p>	<p>जायपुर</p>

जायपुर

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

08/03/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद  
तमिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई  
प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं  
विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी  
एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे  
बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है  
जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को  
लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने  
खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी  
करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को  
स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

my

04/05/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद  
तमिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई,  
प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं  
विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी  
एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे  
बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है  
जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को  
लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने  
खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी  
करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को  
स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का  
नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को  
कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि  
आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के  
खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क  
जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल  
पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो,  
दाखिल दफतर हो।

my  
राजेश कुमार  
(202) नम्बर

न्याया  
जु 2022/52  
प्रार्थी  
कमिशनर  
जिले कुर्ना  
राज्य  
स्वीकार  
प्रार्थन

राजस्थान-सरकार

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद/2022/ 571

दिनांक : 04/05/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. कुम्भाराम पुत्र पीराराम वगैरा 03,  
जाति कुम्हार (प्रजापति), निवासी मालदेता,  
पटवार मण्डल गिडा,  
तहसील गिडा (बाडमेर)


1. डाऊराम पुत्र पूनमाराम वगैरा 08,  
जाति जाट, निवासी मालदेता,  
पटवार मण्डल गिडा,  
तहसील गिडा (बाडमेर)

### प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 387/2021

#### आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - मालदेता, पटवार मण्डल - गिडा, तहसील - गिडा, जिला- बाडमेर के खेत खसरा नं. 59, 60 रकबा क्रमशः 0.0162, 5.3904 हेक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिडा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनरी शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक : वाद/2022/ 572-576

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिडा
2. पटवारी हल्का गिडा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री कुम्भाराम पुत्र पीराराम वगैरा 03,
4. विप्रार्थी श्री डाऊराम पुत्र पूनमाराम वगैरा 08,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिडा/नागाणा।

(जगदीश सिंह आशिया)  
सहायक कलेक्टर  
उपखण्ड अधिकारी बायतु  
(S.D.O.) बायतु

दिनांक : 04/05/2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु  
(S.D.O.) बायतु